(39)

राजस्व लोक अदालत अभियुक्ति प्रपत्र

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021

भू ग 119/21

8-10-21

विषय — नाम/जाति संशोधन हेतु।

महोदय,

Cases No - 2021/288

मैं प्रार्थी रामसिंह चौहान ग्राम उदैपुरिया का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम प्रताप जाति पाल है। मेरे पिता का नाम/जाति प्रताप है। मुझे अपने नाम के साथ पिता/पति/सास/नाम, गोत्र/स्थान/जाति प्रतिया रखना है। कृपया इसे संशोधित करें।

रामसिंह चौहान
प्रार्थी

नाम रामसिंह चौहान
पिता का नाम प्रताप
जाति प्रतिया निवासी रामपुरा उदैपुरिया

रिपोर्ट

दिनांक

प्रार्थी रामसिंह पुत्र प्रताप के प्रार्थना पत्र पर मौजा आम के जानकारी ली गई। रिकार्ड वादी प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र के पहचान हेतु दस्तावेज पेश किए है। जिसके अनुसार प्रार्थी का नाम/जाति से पुकारा जाता है। प्रार्थी का नाम/जाति प्रतिया के स्थान पर राजपूत करने में किसी ने भी आपत्ति नहीं जतायी है। अतः प्रार्थी का नाम/जाति प्रतिया के स्थान पर राजपूत करना उचित होगा।

राजस्व निरीक्षक वृत्त

पटवारी हल्का

कार्यालय तहसीलदार (भू अभिलेख) गंगापुर सिटी

क्रमांक — भू.अ./ रा.ली.अ./2016/

दिनांक

रिपोर्ट पटवारी एवं जांच भू अभिलेख निरीक्षक अनुसार प्रार्थी रामसिंह निवासी उदैपुरिया के आवेदन पत्र प्रताप जाति प्रतिया के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)
गंगापुर सिटी (स0मा0)

कैम्प

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर सिटी

क्रमांक — राजस्व/ रा.ली.अ./2021/139

दिनांक — 08-10-

स्वीकृति आदेश

तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुशंसा पर प्रार्थी श्री रामसिंह पुत्र श्री प्रताप जाति राजपूत निवासी उदैपुरिया का नाम/जाति राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रतिया के स्थान पर राजपूत शुद्ध करने की स्वीकृति दी जाती है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:20:27 IST
Reason: SelfAttested